...ect cash transfer of fertiliser subsidy to farmers: Study

SANDIP DAS
New Delhi, March 13

USING THE CURRENT crisis arising from the West Asia conflict as an opportunity to reduce import dependence, the government should initiate steps to introduce direct cash transfers of fertiliser subsidies to farmers, with seasonal adjustments, according to a research paper released on Friday by ICRIER. "The direct cash benefits to farmers instead of providing highly subsidised soil nutrients can been linked on the basis of crops grown by farmers, availability of irrigation through usage of AgriStack data of agriculture ministry", the study titled 'de-risking fertiliser supplies for india amid rising geopolitical risks' stated. "This would incentivise farmers to use more balanced doses of nitrogen, phosphorous and potassium. Also, with the prices of these being market determined, the diversion of urea into non-agricultural uses and even across borders would dramatically reduce, giving high savings to the government," according to the paper.

पंजाब नैशनल बैंक ......भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) punjab national bank ...the name you can BANK upon!

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा-गाजियाबाद,
केजे-13, द्वितीय तल, कवि नगर, गाजियाबाद - 201001
ई-मेल: cs8228@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

एतद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता (ओं) एवं गारंटर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्तियां, जिनका रचनागत/भौतिक/सांकेतिक अधिग्रहण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय संबंधित ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) की ओर से बैंक/प्रतिभूत ऋणदाता को देय भुगतेय इनकी बकाया देयराशियों की वसूली के लिये, यहां इसमें निम्न तालिका में अंकितानुसार तिथि पर "जैसी हैं जहां हैं", "जैसी हैं जो हैं" तथा "वहां जो कुछ भी हैं" के आधार पर किया जायेगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा, संबंधित संपत्तियों के समक्ष निम्न तालिका में अंकितानुसार होंगे।

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / कर्जदार/गारंटर्स खाते का नाम एवं पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण - बंधक/स्वामी के नाम (सम्पत्तियों के बंधककर्ता)	(A) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि (B) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (C) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि D) कब्जा की स्थिति सांकेतिक / भौतिक/रचनात्मक	(E) आरक्षित मूल्य (लाख रु. में) (F) ईएमडी (G) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	प्रतिभूति लेनदार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण / सम्पर्क व्यक्ति / प्राधिकृत अधिकारी
1.	शाखा: एआरएमबी गाजियाबाद (822800) रन विजय सिंह पुत्र श्री लख पट सिंह, निवासी: एस–1, द्वितीय तल (सामने की ओर छत अधिकार के साथ) संपत्ति संख्या– 3/1301, सेक्टर – 3, वसुंधरा, जिला गाजियाबाद (यूपी) – 201012 और निवासी एलआईजी फ्लैट संख्या 4018, तृतीय तल, (छत अधिकार के बिना) सेक्टर – 4सी, वसुंधरा, गाजियाबाद (यूपी) – 201001 अंतिमा सिंह पत्नी श्री रन विजय सिंह, निवासी: एस–1, द्वितीय तल (सामने की ओर छत के अधिकार के साथ) संपत्ति संख्या– 3/1301, सेक्टर – 3, वसुंधरा, जिला गाजियाबाद (यूपी) 201012 और निवासी: एलआईजी फ्लैट संख्या 4018, तृतीय तल, (छत के अधिकार के बिना) सेक्टर – 4सी, वसुंधरा, गाजियाबाद (यूपी) – 201001 सुरेश कुमार सिंह पुत्र श्री सर्बाहादुर सिंह (गारंटर) निवासी – 46, सेक्ट – 64, नोएडा, यूपी – 201301	संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि आवासीय एलआईजी फ्लैट नंबर 4018, तीसरी मंजिल, (छत अधिकार के बिना) सेक्टर – 4सी, वसुंधरा, गाजियाबाद (यूपी) – 201001 प्लॉट क्षेत्रफल 46.53 वर्ग मीटर यह सम्पत्ति श्रीमती अंतिमा सिंह पत्नी श्री रन विजय सिंह के नाम पर है। दिनांक 29.06.2015 को एसआरओ III, गाजियाबाद के कार्यालय में बही नंबर 1 जिल्द नंबर 29866 में पृष्ठ 313 से 414 पर एसआर नंबर 12384 पर विधिवत पंजीकृत	(A) 12.10.2022 (B) रु. 32.75 लाख + उस पर भविष्य का ब्याज और प्रभार (C) 23.12.2022 (D) सांकेतिक	(A) रु. 28.42 लाख (B) रु. 2,84,200/- (C) रु. 20,000/-	20-04-2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं सुनील कुमार कर्ण मो. 9560155582

नियम एवं शर्तें : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (1) **सम्पत्तियां को "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" बेचा जा रहा है।** (2) ऊपर वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (3) नीलामी ई–नीलामी प्लेटफार्म वेबसाईट **https://baanknet.com** के माध्यम से ऊपर वर्णित दिनांकों को आयोजित की जाएगी। (4) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स : **https://baanknet.com & www.pnbindia.in** देखें। (5) सभी सांविधिक बकाया/अटेंडेंट शुल्क/पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर इत्यादि अन्य बकाया, खरीददारों को वहन करना होगा। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक किसी भी शुल्क के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऋणभार में ग्रहणाधिकार सांविधिक बकाया या किसी अन्य के लिए संपत्ति (ई–नीलामी) के संबंध में जो बैंक को ज्ञात नहीं है, इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर की बकाया राशि, बिजली बकाया इत्यादि संपत्ति पर भार के संबंध में स्वतंत्र पूछताछ करें।

(सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना)

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

दिनांक: 13.03.2026, स्थान : गाजियाबाद

पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) punjab national bank ...the name you can BANK upon!

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, पूर्वी दिल्ली
पॉकेट–ई, मयूर विहार, फेज–II, दिल्ली–110091
ईमेल– cs8075@pnb.co.in, फोन– 011-22779758, 22785289

अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस,

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / कर्जदार/गारंटर्स खाते का नाम एवं पता	क) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि ग) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि घ) कब्जा की स्थिति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	अचल बंधक सम्पत्तियों का विवरण / स्वामित्व का नाम (बंधक सम्पत्तियाँ)	आरक्षित मूल्य (लाख रु. में) ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण प्राधिकृत ऑफिसर का नाम एवं सम्पर्क नं.
1.	शाखा: कीर्ति नगर (002210) मैसर्स डेटेक डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड (इसके निदेशक श्रीमती अलका बिंदल और श्री एंट्रिक्स बिंदल के माध्यम से) पंजीकृत कार्यालय: सी–6, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली–110015, मैसर्स डेटेक डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड (इसके निदेशक श्रीमती अलका बिंदल और श्री एंट्रिक्स बिंदल के माध्यम से) एफ–274बी, आरआईको औद्योगिक क्षेत्र, चोपंकी, भिवाड़ी, जिला– अलवर, राजस्थान – 301019, श्रीमती अलका बिंदल (निदेशक/गारंटर, मैसर्स डिटेक डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड) पता: एफ–139, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली–110015, इसके अलावा: सी–6, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली–110015, इसके अलावा: एफ–274बी, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चोपानकी, भिवाड़ी, जिला–अलवर, राजस्थान–301019 श्री एंट्रिक्स बिंदल (मैसर्स डेटेक डिवाइसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक/गारंटर) पता: एफ–139, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली–110015, इसके अलावा: सी–6, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली–110015, इसके अलावा: एफ–274बी, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चोपानकी, भिवाड़ी, जिला–अलवर, राजस्थान–301019	08.07.2024 रु. 4,45,33,181.29/- + पूर्ण और अंतिम भुगतान की तिथि तक का अतिरिक्त ब्याज, अन्य शुल्क और व्यय। 03.10.2024 सांकेतिक	रिहायशी संपत्ति संख्या: सी–6, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली–110015, में स्थित जिसका क्षेत्रफल 266.66 वर्ग गज। यह संपत्ति श्रीमती अलका बिंदल के नाम पर है। चौहद्दी: उत्तर: परिसर संख्या सी–6 का भाग पश्चिम: सड़क (पीछे) दक्षिण: परिसर संख्या सी–7 पूर्व: सर्विस लेन (सामने)	रु. 637.00 लाख रु. 63.70 लाख (30.03.2026) रु. 1.00 लाख	30.03.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक	दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका (सी) क्रमांक 12272/2024, जिसका शीर्षक "अलका बिंदल बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण" है, लंबित है, जिसमें उपर्युक्त गिरवी रखी गई संपत्ति से संबंधित मामला है। श्री सुभाष चंद जाटव (संख्या 9121866087) अधिकृत अधिकारी, एआरएमबी, पूर्वी दिल्ली

ई–नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें :

बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (1) **सम्पत्तियां को "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" बेचा जा रहा है।** (2) ऊपर वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (3) नीलामी ई–नीलामी प्लेटफार्म वेबसाईट **https://baanknet.com** के माध्यम से ऊपर वर्णित दिनांकों को आयोजित की जाएगी। (5) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स : **https://baanknet.com & www.pnbindia.in** देखें। (5) सभी सांविधिक बकाया/अटेंडेंट शुल्क/पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर इत्यादि अन्य बकाया, खरीददारों को वहन करना होगा। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक किसी भी शुल्क के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऋणभार में ग्रहणाधिकार सांविधिक बकाया या किसी अन्य के लिए संपत्ति (ई–नीलामी) के संबंध में जो बैंक को ज्ञात नहीं है, इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर की बकाया राशि, बिजली बकाया इत्यादि संपत्ति पर भार के संबंध में स्वतंत्र पूछताछ करें।

सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

दिनांक: 13.03.2026, स्थान : नई दिल्ली